



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

44-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 31, 2020 (CHAITRA 11, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2020

संख्या 14/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क. अनुसूची I - 2-5% में,-

(i) क्रम संख्या 187 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम संख्या 75 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"75क	36050010	सभी माल";
------	----------	-----------

(ii) क्रम संख्या 202 और 203 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

ग. अनुसूची III - 9% में,-

(i) क्रम संख्या 73 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा;

(ii) क्रम संख्या 379 में, खाना (3) के नीचे दी गई प्रविष्टि के स्थान पर, "सभी माल" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2020

No. 14/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

(i) serial number 187 and the entries thereagainst shall be omitted;

B. in Schedule II - 6%, -

(i) after serial number 75 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------

(i) serial numbers 202 and 203 and entries thereagainst shall be omitted;

C. in Schedule III - 9%, -

(i) serial number 73 and the entries thereagainst shall be omitted;

(ii) in serial number 379, for the entry under column (3), the entry “All goods” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.